छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक– 26/05/2018

एफ 4–12/56/2017/इसूप्रौ/ राज्य शासन एतद्द्वारा, 'छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना' (स्काई) की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2017 की कंडिका 6.1 के कॉलम 2 में उल्लिखित **"तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी"** की पात्रता को निम्नानुसार सुस्पष्ट करता है–

1. शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को सितम्बर 2018 तक स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा।
2. शैक्षणिक सत्र 2018–19 के प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को मार्च से मई 2019 के मध्य स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा।
3. एक विद्यार्थी को एक ही स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त अधिसूचना की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तित होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(एलेक्स पॉल मेनन)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 4–12/56/2017/इसूप्रौ नया रायपुर, दिनांक– 26/05/2018

प्रतिलिपि–

1. शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर (समस्त), छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(एलेक्स पॉल मेनन)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग